प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 3144/2003

याचिकाकर्ता अंजनी कुमार पांडे

बनाम

उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

<u>आदेश</u>

दिनांक 20-02-2007 को सूचिब़द्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

सतीश के.अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिकासंख्या 3144 वर्ष 2003

याचिकाकर्ता

अंजनी कुमार पांडे

बनाम

उत्तरवादी

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

एकल पीठः माननीय न्यायमूर्ति सतीश के.अग्निहोत्री।

श्री आशीष श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता।

श्री अरविंद दुबे, उत्तरवादी संख्या 1 और 2 के लिए पैनल अधिवक्ता ।

श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, उत्तरवादी संख्या 3 के अधिवकता।

श्री एस.के.बेरीवाल, अधिवक्ता, श्री जी.के.बेरीवाल, अधिवक्ता की ओर से

उत्तरवादी संख्या 4 के लिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>आदेश</u>

(20 फरवरी, 2007 को पारित)

1. इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.01.2003 के आदेश (अनुलग्नक पी/7) की वैधता और विधिमान्यता को चुनौती दी है, जिसके तहत शिक्षा गारंटी केंद्र, कोनारगढ़, पामगढ़, जिला-जांजगीर चांपा के लिए गुरूजी के पद पर नियुक्ति के लिए तैयार चयन सूची को रदद कर दिया गया था।

2.याचिकाकर्ता के अनुसार निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर शिक्षा गारंटी योजना(संक्षेप में "ई.जी.एस.), दर्रीपारा, कोनारगढ़ के अंतर्गत संचालित स्कूल में छोटे बच्चों को 01.07.2000 से निःशुल्क शिक्षा प्रदान कर रहा है। ई.जी.एस. स्कूल ने याचिकाकर्ता को ऐसे स्कूल में द्वितीय गुरूजी के रूप में

नियुक्त करने के लिए खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक पामगढ़ केा एक पत्र (अनुलग्नक पी/1) लिखा था। तदनुसार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, (संक्षेप में "सी.ई.ओ.जनपद पंचायत पामगढ़ द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.10.2002(अनुलग्नक पी/2)के अनुसार याचिकाकर्ता को द्वितीय गुरूजी के रूप में दर्रीपारा, कोनारगढ़ में नियुक्ति का प्रस्ताव ई.जी.एस.केंद्र में अनुमोदित किया गया था।

नियुक्ति की शर्तें यह थी कि याचिकाकर्ता की स्कूल में दूसरे गुरूजी के रूप में नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी थी और शिक्षा मिशन पर आधारित थी।

3. तदनुसार, ग्राम पंचायत, कोनारगढ़ ने 01.10.2002 को आदेश पारित किया (अनुलग्नक पी/3)। याचिकाकर्ता ने 02.11.2002 को (अनुलग्नक/पी 4) को द्वितीय गुरूजी के रूप में विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया और उसके बाद उसे प्रशिक्षण के लिए भेज दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राजीव गांधी शिक्षा मिशन जांजगीर चांपा के अंर्तगत जिला परियोजना मिशन निदेशक ने अपने पत्र दिनांक 17.01.2003 (अनुलग्नक पी/5) द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी/उत्तरवादी संख्या 3 को सूचित किया कि राइसमीलपारा चांदीपारा, आ जा पारा धनगांव और दर्रीपारा कोनारगढ़ स्थित शिक्षा गारंटी केंद्रों में नियुक्ति के लिए शिक्षकों (गुरूजी) का दिनांक 01.10.2002 का पैनल, जहॉ याचिकाकर्ता की नियुक्ति हुई थी, योजना के विरूद्ध था क्योंकि नियुक्तियॉ पूर्णतः प्रतिबंधित थीं। आगे यह भी कहा गया कि उत्तरवादी संख्या 3 मानदेय के लिए भुगतान के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा,यदि कोई हो।

5. तत्पश्चात ग्राम पंचायत कोनारगढ़ के सचिव ने आदेश दिनांक 27.01.2003 (अनुलग्नक पी/7)द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया कि कलेक्टर एवं जिला शिक्षा संचालक, राजीव गांधी मिशन, जांजगीर चांपा द्वारा आदेश दिनांक 17.01.2003 के परिपालन में शिक्षा गांरटी केन्द्र की सूची, जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता की नियुक्ति की गई थी, निरस्त कर दी गई है।

6. व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने बिना कोई कारण बताए यह याचिका दायर की है। हालॉकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष श्रीवास्तव ने मौखिक रूप से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की द्वितीय गुरूजी के पद पर नियुक्ति निरस्त करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि एक बार याचिकाकर्ता ने द्वितीय गुरूजी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है, तो याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सूची निरस्त नहीं की जा सकती। इस प्रकार, याचिकाकर्ता दिनांक 17.01.2003 का आदेश (अनुलग्नक पी/5) और दिनांक 27.01.2003 (अनुलग्नक पी/7) के आदेश को निरस्त करने की मांग किया है।

7) इसके विपरीत, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति योजना के विपरीत थी, क्योंकि विद्यालय में द्वितीय गुरूजी के पद पर अनिवार्य रूप से एक महिला उम्मीदवार का होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता को इस पद पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति रोजगार की संवैधानिक योजना के अनुसार नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तथ्य स्पष्ट हैं और याचिकाकर्ता को पहले से ही अच्छी तरह पता था कि द्वितीय गुरूजी के पद पर उसकी नियुक्ति योजना के विपरीत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओ को सुनने और संलग्न अभिवचनों एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की द्वितीय गुरूजी के रूप में नियुक्ति योजना के विपरीत थी। इस योजना में 50 से अधिक बच्चों की स्थिति में द्वितीय गुरूजी की नियुक्ति का प्रावधान है, ऐसी स्थिति में द्वितीय गुरूजी अनिवार्य रूप से एक महिला शिक्षिका होंगी। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत शिक्षा के विस्तार हेतु तत्कालीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों की नियक्ति हेतु बनाई गई योजना में निम्नलिखित प्रावधान हैं-

बच्चों की संख्या यदि 50 से अधिक हो तो एक और गुरूजी नियुक्त किया जा सकता है। ताकि शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:40 के लगभग बना रहे। गुरूजी की न्यूनतम शैक्षिक

योग्यता उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पास होना होती है तथापि इतना पढ़ा-लिखा स्थानीय व्यक्ति यदि न मिले तो हाईस्कूल उत्तीर्ण व्यक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। गुरूजी की पहचान वहीं समुदाय करता है जिसने स्कूल खोलने की मांग की है। गुरूजी स्थानीय व्यक्ति ही होगा। यहां स्थानीय से तात्पर्य है कि यह उस बसाहट का निवासी हो जिसने स्कूल खोलने की मांग की है। यदि बसाहट में निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के व्यक्ति का चुनाव भी किया जा सकता है जिसके अंतर्गत वह बसाहट आती है। निर्धारित क्षेत्र में ग्राम्य व्यक्ति उपलब्ध न होन पर केवल अपवाद स्वरूप किसी गुरूजी का चुनाव पडोस के गांव, ग्राम पंचायत से किया जा सकेगा। ऐसे मामले में साक्ष्यों की पूरी छानबीन करने के बाद ई.जी.एस.जिला स्तरीय प्रबंधन इसकी स्वीकृति देगा। गुरूजी के चयन में प्राथमिकता महिला को दी जायेगी। जहां एक से अधिक गुरूजी की आवश्यकता होनी वहां उनमें से एक अनिवार्य रूप से महिला होगी। गुरूजी की नियुक्ति स्थानीय है जी.एस.स्कूल के लिये होगी और उसे स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ता माना जायेगा। उसे अपनी उन सभी सेवाओ के लिये हर महीने पूरे वर्ष मानदेय प्राप्त होगा।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

इस प्रकार, याचिकाकर्ता को नियुक्ति शिक्षा गारंटी योजना के विपरीत थी।

9) इस प्रश्न पर कि क्या याचिकाकर्ता को पद पर अधिकार है, यह विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था के विरूद्ध है, तो उक्त कर्मचारी को पद पर अधिकार नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 का उपखंड (3) संसद द्वारा वर्ग या वर्गों के संबंध में विधि बनाने का प्रावधान करता है।

किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण में किसी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति, उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास के संबध में आवश्यकता।

10. वर्तमान मामले में शिक्षा गारंटी योजना में यह प्रावधान है कि शिक्षक संबंधित वार्ड के निवासी होने चाहिए, यदि संभव न हो तो उसी गॉव के, और यदि उपलब्ध न हों तो पड़ोसी गॉव या ग्राम पंचायत के। यह अपने आप में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) के प्रावधानों के विपरीत है। संसद ने, निश्चित रूप से, इस योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की नियुक्ति के लिए कोई विधि नहीं बनाया है।

11. भारत संघ एवं अन्य बनाम संजय पंत एवं अन्य (1993 सप्प (2) एस.सी.सी.494) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया था:

6. दो मामलों, एम. पलानीअप्पन बनाम भारत संघ और श्रीमती रीता कुमारी, में न्यायाधिकरण पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका है कि स्थानीय उम्मीदवार न होने के आधार पर तदर्थ नियुक्त व्यक्ति की सेवा समाप्ति अवैध है। इन निर्णयों का अनुसरण और अनुप्रयोग पी.जी.जेम्स बनाम भारत संघ मामले में किया गया था, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त आधार पर नियमित नियुक्ति देने से इन्कार करना अवैध है। इस मामले में इस प्रश्न का निष्कर्ष निकालते हैं। इसके अलावा, किसी विशेष (क्षेत्र इस मामले में, केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) में निवासी की आवश्यकता अनुच्छेद 16 (2) के विरूद्ध है। अनुच्छेद 16 (3) के तहत, केवल संसद द्वारा बनाया गया विधि ही ऐसा प्रतिबंध या आवश्यकता लागू कर सकता है, जैसा भी मामला हो

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. सचिव, कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पी। उमादेवी (3) और अन्य (2006) 4 एससीसी

1) ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है- 6. एक नियोक्ता के रूप मे राज्य की शक्ति एक निजी नियोक्ता की तुलना में अधिक सीमित है क्योंकि यह संवैधानिक सीमाओ के अधीन है और इसे मनमाने ढंग से प्रयोग नहीं किया जा सकता है बसु के भारत के लघु संविधान के अनुसार संविधान का अनुच्छेद 309 सरकार को संघ या किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में सार्वजनिक सेवाओ और पदों पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की सेवा और भर्ती की शर्तों को निर्धारित करने के उददेश्य से नियम बनाने की शक्ति देता

है। वह अनुच्छेद भर्ती को विनियमित करने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए एक प्रक्रिया और नियमों को तैयार करने पर विचार करता है। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि इस वजह से, सेवाओं के लिए भर्ती की पूरी प्रक्रिया विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती है जो आवश्यक योग्यता, नियुक्ति का तरीका आदि निर्दिष्ट करती है।

12. संघ या राज्य सरकार के इस अधिकार को मान्यता दी जानी चाहिए और संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परिस्थिति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अस्थायी या दैनिक वेतन पर व्यक्तियों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता हो। लेकिन इस तथ्य का कि ऐसी नियुक्तियां की जाती है, लोक नियोजन की मूल योजना को विफल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न ही कोई न्यायालय यह कह सकती है कि संघ या राज्य सरकारों को व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी निश्चित अवधि के लिए या किसी विशेष परियोजना में कार्य पूरा होने तक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहना। एक बार जब सरकार के इस अधिकार को मान्यता मिल जाती है और लोक नियोजन के लिए संवैधानिक आवश्यकता के अधिदेश का सम्मान हो जाता है, जो इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई विशेष कठिनाई नहीं है कि न्यायालयों के लिए, चाहे वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्य कर रहे हों या संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक योजना द्वारा परिकल्पित चयन की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना नियोजित लोंगों को स्थायी रोजगार में समाहित करने का निर्देश देना सामान्यतः उचित नहीं है।

13. गुरूजी और दूसरे गुरूजी की नियुक्ति संवैधानिक नियोजन व्यवस्था के अनुरूप नहीं है क्योंकि इसमें उचित खुली प्रतिस्पर्धा या अन्य क्षेत्रों से भी अभ्यर्थियों के चयन का प्रावधान नहीं है। अतः गुरूजी के रूप में याचिकाकर्ता को इस पद का कोई अधिकार नहीं है।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों के माध्यम से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के प्रश्न पर तथा पी.डी. अग्रवाल बनाम भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य (2006) 8

एस.सी.सी. 776 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर विचार करते हुए निम्नलिखित अनुसार अवधारित किया हैः-

30. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी एक सूत्र में नहीं बांधा जा सकता। इसे परिस्थितिजन्य लचीलेपन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, इसके अलग-अलग पहलू हैं। हाल के समय में इसमें भी व्यापक बदलाव आया है।

39. एस.एल.कपूर बनाम जगमोहन में इस न्यायालय का निर्णय, जिस पर श्री राव ने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन न करना अपने आप में पूर्वाग्रह का कारण बनता है या इसे इस रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि यह कठिनाई पैदा करता है।

पूर्वाग्रह को इस मामले में लागू नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में भारी बदलाव आया है। स्टेट बैंक आफ पटियाला बनाम एस.के.शर्मा और राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 18 में इस न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए, विधि का सिद्धांत यह है कि शिकायतकर्ता को वास्तव में कुछ हानि अवश्य हुआ होगा। न्यायालय अपनी पूर्व अवधारणा से हट गया है कि एक छोटा सा उल्लंघन भी आदेश को अमान्य घोषित कर देगा। दूसरे पक्ष की बात भी सुनें के सिद्धांत में उन मामलों के बीच एक स्पष्ट अंतर निर्धारित किया गया है जहां कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उन मामलों के बीच जहां सिद्धांत का केवल तकनीकी उल्लंघन हुआ था। न्यायालय प्रत्येक मामले मे मौजूद तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों लागू करता है। इसे मामले के सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ के बिना शून्य में लागू नहीं किया जाता है। यह कोई अनियंत्रित घोड़ा नहीं है। इसे किसी कठोर सूत्र में नहीं रखा जा सकता। (विवेकानंद सेठी बनाम चेयरमैन, जेएंडके बैंक लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नीरज अवस्थी देखें, मोहम्मद सरताज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य भी देंखें।)

15. वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ता का यह दावा नहीं है कि उसकी नियुक्ति संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप थी। याचिकाकर्ता की नियुक्ति, निश्चित रूप से,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

व्यवस्था के विपरीत थी क्योंकि दूसरे गुरूजी के पद पर अनिवार्य रूप से एक महिला उम्मीदवार होनी चाहिए थी। इसके पीछे निहित सिद्धांत स्थानीय बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में पुरूषों और महिलाओ की समान भागीदारी और प्राकृतिक वातावरण में बच्चे के अधिक निकट होने के कारण महिला को प्राथमिकता देना प्रतीत होता है। उपरोक्त सुस्थापित विधि सिद्धांतों को लागू करते हुए, याचिकाकर्ता की द्वितीय गुरूजी के पद पर नियुक्ति शिक्षा गांरटी योजना के विपरीत तथा असंवैधानिक है, इसलिए उसे इस पर पर कोई अधिकार नहीं है।

16. यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यह कहना गलत है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है क्योंकि तथ्यों को स्वीकार करने के बाद इसे किसी निश्चित सूत्र में नहीं रखा जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केनरा बैंक बनाम वी.के.अवस्थी (2005) 5 एस.सी.सी. 321 मामले में, जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अवलंब किया था, निम्नलिखित निर्णय दिया थाः-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, हमें बेकार औपचारिकता सिद्धांत में विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, इस तथ्य को देखते हुए कि कोई दोष नहीं दिखाया गया है। जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने सही ही कहा है, जब तक कि न्याय में विफलता न हो या किसी विशेष मामले में ऐसा करना जनहित में न हो, यह न्यायालय संबंधित कर्मचारी को अनुतोष् देने से इन्कार कर सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि विधिक सूत्रों को मामले की तथ्यात्मक स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब तथ्य स्वीकार कर लिए गए हों, तो कारण बताओ नोटिस देने के बाद उचित जांच करना महज औपचारिकता होगी।

17. परिणामस्वरूप और ऊपर की गई चर्चाओ के आधार पर, यह याचिका खारिज की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/

सतीश क. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरण :- हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Amit Tiwari, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur